



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1478]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अगस्त 9, 2012/श्रावण 18, 1934

No. 1478]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 9, 2012/SHRAVANA 18, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)  
(कागज अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2012

का.आ. 1781(अ).—केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2012 कहा जाए।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 की अनुसूची में :—

(1) देशी न्यूजप्रिंट विनिर्माताओं की मिल के नाम और अवस्थिति से संबंधित मद 4 में, क्रम सं. 114 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“115 मेसर्स रयाना पेपर बोर्ड इंडस्ट्रीस लिमिटेड युनिट II, रयाना रिजेंसी, ढला (वेस्ट), जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश राज्य”।

[फा. सं. 4(5)/2012-पेपर]

तल्लीन कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में सं. का. आ. 1105(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2004 के तहत प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 4 मई, 2012 के आदेश सं. का.आ. 1038(अ) द्वारा वाद में संशोधित किया गया था।

2950 GI/2012

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY  
(Department of Industrial Policy and Promotion)  
(PAPER SECTION)

ORDER

New Delhi, 6th August, 2012

S.O. 1781(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18 G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Newsprint Control Order, 2004, namely :—

1. (1) This Order may be called the Newsprint Control (Amendment) Order, 2012.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Newsprint Control Order, 2004, in the Schedule :—

(1) In item 4 relating to the name of the Mill and Location of the indigenous newsprint manufacturers, after S. No. 114 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely :—

“115. M/s. Rayana Paper Board Industries Limited, Unit-II, Rayana Regency, Dhala (West), District Gorakhpur in the State of Uttar Pradesh”.

[F. No. 4(5)/2012-Paper]

TALLEEN KUMAR, Jt. Secy.

Note : The Principal order was published in the Gazette of India vide No. S.O. 1105(E), dated 11th October, 2004 and subsequently amended vide Order No. S.O. 1038(E), dated 4th May, 2012 published in the Gazette of India.